4/7/23
वकील पक्षकारान हाजिर। श्रीमान एसडीएम साहब अवकाश/चुनाव/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 11/7/23 को पेश हो।

11/07/23
वकील पक्षकारान हाजिर। श्रीमान् एसडीएम साहब अवकाश/चुनाव/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है, पत्रावली दिनांक 12/07/23 को पेश हो।

12/7/23
वकील पक्षकारान हाजिर। श्रीमान एसडीएम साहब अवकाश/चुनाव/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 25/7/23 को पेश हो।

25/7/23
वकील पक्षकारान हाजिर। श्रीमान एसडीएम साहब अवकाश/चुनाव/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 28/07/23 को पेश हो।

28/7/23
वकील पक्षकारान हाजिर। श्रीमान एसडीएम साहब अवकाश/चुनाव/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 01/8/23 को पेश हो।

01/8/23
वकील पक्षकारान हाजिर। श्रीमान एसडीएम साहब अवकाश/चुनाव/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 27/8/23 को पेश हो।

27/8/23
वकील पक्षकारान हाजिर। श्रीमान् एसडीएम साहब अवकाश/चुनाव/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है, पत्रावली दिनांक 30/11/23 को पेश हो।

30/11/23
वकील पक्षकारान हाजिर। श्रीमान एसडीएम साहब अवकाश/चुनाव/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 15/1/24 को पेश हो।

15/1/24 वकील प्रार्थी हाजिर। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 21/1/24 को पेश हो।

21/1/24 वकील प्रार्थी हाजिर। [illegible] को आदेश अलग से लिखाया गया। जो शामिल मिसल रहे। पत्रावली [illegible] कर फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharti Foolfaker
Date: 2024.02.02 12:27:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– भारती फूलफकर आर.ए.एस.

मैनुअल प्र.सं. : 106 / 2022
जीसीएमएस : 2020 / 00343

1. रामस्वरूप पुत्र पदमगर जाति गुसाई निवासी ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.

–:प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–:अप्रार्थी

उपस्थिति :–

1. श्री मोहन लाल बाना , वकील प्रार्थी

अन्तर्गत धारा 136 एलआर.एक्ट

–: निर्णय :–

दिनांक : 29.01.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रामस्वरूप पुत्र श्री पदमगर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से चक 29 पी एस ए की जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के खाता सं. 81 मु.नं.14 प.नं. 224 / 292 के कि.नं. 5–6–7 में 0.443 है0 भूमि में 1 / 4 हिस्सा है। जिसमें प्रार्थी का नाम रामलाल पुत्र पदमगिर दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थी को विरास्तन में मिली भूमि में प्रार्थी को घर पर छोटा नाम रामु रामु पुकारते थे इसलिए रामलाल दर्ज हो गया है। उक्त भूमि के अलावा प्रार्थी के नाम चक 45 पी एस की जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 के खाता नं. 108 प.नं. 220 / 300 मु.न. 7 में 1.550 है0 भूमि में प्रार्थी का नाम रामस्वरूप दर्ज है। इसके अलावा प्रार्थी ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से उच्च माध्यमिक परीक्षा वर्ष 2012 में पास की जिसमें प्रार्थी का नाम रामस्वरूप है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से कक्षा 10 वीं सन् 2010 में पास की उसमें भी प्रार्थी का नाम रामस्वरूप दर्ज है। आधार कार्ड, राशनकार्ड , भामाशाह कार्ड, जनआधार कार्ड, परिचय पत्र, श्रम कार्ड, ड्राईवर लाईसेन्स, में भी प्रार्थी का नाम रामस्वरूप दर्ज है। उक्त नाम की दुरूस्ती करने हेतु दिनांक 25–5–2022 को प्रा. पत्र को पेश किया तो तहसीलदार ने दुरूस्ती करने से इन्कार कर दिया । न्यायालय में चारा जोई करने के लिए कहा बस यही बिनाय मुखास्मत है। विनाय दावा प्रार्थी के जन्म से प्रार्थी को प्राप्त है।

अतः चक 29 पी एस ए के जमाबन्दी सम्वत् 2074–से 77 के खाता नं. 81 के मु.नं.14 प.नं. 224 / 292 के कि.नं. 5–6–7 में 0.443 है0 भूमि में प्रार्थी का नाम रामलाल को विलोपित कर उसकी जगह रामस्वरूप दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायसिहंनगर को दिया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर को जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया।

तहसीलदार रायसिंहनगर से रिपोर्ट क्रमांक / भू.अ. / 2023 / 1246 दिनांक 28.02.2023 के द्वारा पटवारी रिपोर्ट [illegible] रामस्वरूव व रामलाल पुत्र पदमगर जाति गुसाई एक ही व्यक्ति है। चक 29 [illegible] प.न. 224 / 292 मु.न. 14 के 0.443 है0 नहरी में प्रार्थी का नाम [illegible] 1 / 4 हिस्सा की जगह रामस्वरूप पुत्र पदमगर जाति [illegible] दुरूस्ती की जानी उचित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात , स्वयं का शपथ –पत्र [illegible] / –रूपये के स्टाम्प ,जनआधार कार्ड पैनकार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड, मूलनिवास, जाति प्रमाण–पत्र, 10वीं व 12 वीं की अंकतालिका, व बैंक पास बुक, फर्दमौका, व सरपंच की तस्दीक सलंग्न की है। जो सलग्न पत्रावली किया गया।

उक्त रिर्पोट प्राप्त होने पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी भी तहसील की रिर्पोट पर अपनी सहमति दी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना –पत्र स्वीकार किया जाकर रामलाल के स्थान पर रामस्वरूप की दुरूस्ती की जानी उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharti Foolfaker
Date: 2024.02.02 12:27:45 IST
Reason: SelfAttested

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार रायसिंहनगर की रिर्पोट दिनांक 28.02.2023 की अभिशाषां के अनुसार वाके चक 29 पी एस ए की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता नं. 81 के प.न. 224/292 मु.न. 14 के 0.443है0 नहरी भूमि में प्रार्थी रामलाल पुत्र पदमगर का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर रामस्वरूप पुत्र पदमगर की दुरूस्ती की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 29.01.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भारती फूलफकर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharti Foolfaker
Date: 2024.02.02 12:27:45 IST
Reason: SelfAttested